भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3739

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन

3739. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से 2025-26 तक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सृजित रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों के विकास प्रदर्शन को देखते हुए इनमें रोजगार सृजन के स्तर को पर्याप्त मानती है और यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में वृद्धि के बावजूद अपर्याप्त रोजगार सृजन के क्या कारण हैं; और

(ङ) विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) एचएसबीसी इंडिया और एसएंडपी ग्लोबल, निजी कंपनियों द्वारा संकलित एक मासिक आर्थिक संकेतक है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक भारत के संबंध में विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई का मासिक ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

(ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, जुलाई 2017 से बाद की अवधि के दौरान श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अर्थात आबादी के व्यक्तियों में से नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का वितरण संबंधी ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार, सरकार की

एक प्राथमिकता है। विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमों/कार्यक्रमों (**अनुबंध-III** में गैर-संपूर्ण सूची) के माध्यम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। रोजगार का सृजन करने के लिए सरकारी कार्यकलापों के उदाहरण निम्नानुसार हैं:-

विनिर्माण क्षेत्र में, उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों (31 मार्च 2026 तक) के तहत 892 आवेदनों को अनुमोदित किया, जिससे 14.15 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, 30 जून 2026 तक कुल 469 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें से 376 भूखंड (5,047 एकड़) औद्योगिक भूखंड हैं, जिनमें लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध निवेश क्षमता और 1.29 लाख व्यक्तियों की अनुमानित रोजगार क्षमता है, जैसा कि आवंटन के समय निवेशकों द्वारा घोषित किया गया था।

इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार, स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि और देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती है। इसके परिणामस्वरूप, 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कुल 2,40,092 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 55 से अधिक विभिन्न उद्योगों में 24.62 लाख से अधिक के प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संसूचना दी है, जिनमें प्रौद्योगिकी से परे क्षेत्र भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित उच्चाधिकार प्राप्त 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज' स्टैंडिंग कमेटी (एचपीएससी-ईईई) का गठन, सेवा क्षेत्र में वर्ष 2047 तक 10% वैश्विक भागीदारी के साथ हमें ग्लोबल लीडर बनाने के लिए विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर फोकस करने के उपाय सुझाने के लिए 22 अप्रैल, 2026 को किया गया था। यह नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन करता है और इसके उपायों का प्रस्ताव करते हुए विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को इष्टतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल संचालित कर रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों, नौकरी की तलाश और प्राप्त कराने, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान केन्द्र है।

अनुबंध-I

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मासिक पीएमआई-विनिर्माण*

माह	वित्त वर्ष'15	वित्त वर्ष'16	वित्त वर्ष'17	वित्त वर्ष'18	वित्त वर्ष'19	वित्त वर्ष'20	वित्त वर्ष'21	वित्त वर्ष'22	वित्त वर्ष'23	वित्त वर्ष'24	वित्त वर्ष'25	वित्त वर्ष'26
अप्रैल	51.3	51.3	50.5	52.5	51.6	51.8	27.4	55.5	54.7	57.2	58.8	58.2
मई	51.4	52.6	50.7	51.6	51.2	52.7	30.8	50.8	54.6	58.7	57.5	57.6
जून	51.5	51.3	51.7	50.9	53.1	52.1	47.2	48.1	53.9	57.8	58.3	58.4
जूलाई	53	52.7	51.8	47.9	52.3	52.5	46	55.3	56.4	57.7	58.1	59.1
अगस्त	52.4	52.3	52.6	51.2	51.7	51.4	52	52.3	56.2	58.6	57.5	59.3
सितंबर	51	51.2	52.1	51.2	52.2	51.4	56.8	53.7	55.1	57.5	56.5	57.7
अक्टूबर	51.6	50.7	54.5	50.3	53.1	50.6	58.9	55.9	55.3	55.5	57.5	59.2
नवंबर	53.3	50.3	52.3	52.6	54	51.2	56.3	57.6	55.7	56	56.5	56.6
दिसंबर	54.5	49.1	49.6	54.7	53.2	52.7	56.4	55.5	57.8	54.9	56.4	55
जनवरी	52.9	51.1	50.4	52.4	53.9	55.3	57.7	54	55.4	56.5	57.7	55.4
फरवरी	51.2	51.1	50.7	52.1	54.3	54.5	57.5	54.9	55.3	56.9	56.3	56.9
मार्च	52.1	52.4	52.5	51	52.6	51.8	55.4	54	56.4	59.1	58.1	53.9

मासिक पीएमआई-सेवाएं*

माह	वित्त वर्ष'15	वित्त वर्ष'16	वित्त वर्ष'17	वित्त वर्ष'18	वित्त वर्ष'19	वित्त वर्ष'20	वित्त वर्ष'21	वित्त वर्ष'22	वित्त वर्ष'23	वित्त वर्ष'24	वित्त वर्ष'25	वित्त वर्ष'26
अप्रैल	48.5	53.7	53.7	50.2	51.4	51	5.4	54	57.9	62	60.8	58.7
मई	50.2	51	51	52.2	49.6	50.2	12.6	46.4	58.9	61.2	60.2	58.8
जून	54.4	47.7	50.3	53.1	52.6	49.6	33.7	41.2	59.2	58.5	60.5	60.4
जुलाई	52.2	50.8	51.9	45.9	54.2	53.8	34.2	45.4	55.5	62.3	60.3	60.5
अगस्त	50.6	51.5	54.7	47.5	51.5	52.4	41.8	56.7	57.2	60.1	60.9	62.9
सितम्बर	51.6	51.3	52	50.7	50.9	48.7	49.8	55.2	54.3	61	57.7	60.9
अक्टूबर	50	53.2	54.5	51.7	52.2	49.2	54.1	58.4	55.1	58.4	58.5	58.9
नवंबर	52.6	50.1	46.7	48.5	53.7	52.7	53.7	58.1	56.4	56.9	58.4	59.8

दिसंबर	51.1	53.6	46.8	50.9	53.2	53.3	52.3	55.5	58.5	59	59.3	58
जनवरी	52.4	54.3	48.7	51.7	52.2	55.5	52.8	51.5	57.2	61.8	56.5	58.5
फरवरी	53.9	51.4	50.3	47.8	52.5	57.5	55.3	51.8	59.4	60.6	59	58.1
मार्च	53	54.3	51.5	50.3	52	49.3	54.6	53.6	57.8	61.2	58.5	57.5

***स्रोत:** एचएसबीसी इंडिया और एसएंडपी ग्लोबल

अनुबंध II

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका 1: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)**

वर्ष#	डब्ल्यूपीआर
2017-18	46.8
2018-19	47.3
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0
2023-24	58.2
2024	57.7
2025	57.4

तालिका 2: सामान्य स्थिति में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (पीएस + एसएस)**

वर्ष#	क्षेत्र	संपूर्ण भारत में
2017-18	विनिर्माण	12.1
	सेवाएं	31.1
2018-19	विनिर्माण	12.1
	सेवाएं	32.3
2019-20	विनिर्माण	11.2
	सेवाएं	30.7
2020-21	विनिर्माण	10.9
	सेवाएं	29.6
2021-22	विनिर्माण	11.6
	सेवाएं	29.6
2022-23	विनिर्माण	11.4
	सेवाएं	28.9
2023-24	विनिर्माण	11.4
	सेवाएं	29.7
2024	विनिर्माण	11.6
	सेवाएं	30.5
2025	विनिर्माण	12.1
	सेवाएं	31.8

****सामान्य स्थिति** सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों (एक वर्ष) की लंबी अवधि के आधार पर किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति है।

पीएस, प्रमुख गतिविधि की स्थिति को दर्शाता है। यह विशिष्ट गतिविधि की स्थिति (नियोजित, बेरोजगार, या श्रम बल से बाहर) है जिस पर एक व्यक्ति ने पिछले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (प्रमुख समय मानदंड) बिताया।

एसएस सहायक आर्थिक गतिविधि की स्थिति को दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रमुख स्थिति के साथ-साथ 365 दिनों की उसी संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक की गई अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है।

#वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में जुलाई-जून की अवधि को संदर्भित करता है, जबकि वर्ष 2024 और 2025 के लिए यह अवधि जनवरी-दिसंबर है।

तालिका 2 में **सेवा क्षेत्र** में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं।

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

अनुबंध-III

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
ii. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)
iii. विकसित भारत -रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025
iv. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)
v. ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
vi. स्टैंडअप इंडिया
vii. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम)
viii. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
ix. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
x. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें
xi. राष्ट्रीय शिक्षु संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)
xii. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
xiii. मेक इन इंडिया
xiv. स्टार्टअप इंडिया
xv. भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) आदि।
